न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 378 सन 2022

अनवान :–

1. सत्यप्रकाश पुत्र जगदीश जाति ब्राहम्ण निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. रविप्रकाश पुत्र जगदीश जाति ब्राहम्ण निवासी फेफाना तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1. सन्तोष पुत्री जगदीश जाति ब्राहम्ण निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. कैलाश पुत्री जगदीश जाति ब्राहम्ण निवासी फेफाना तहसील नोहर।
3. सुदेश पुत्री जगदीश जाति ब्राहम्ण निवासी फेफाना तहसील नोहर।
4. कौशल्या पुत्री जगदीश जाति ब्राहम्ण निवासी फेफाना तहसील नोहर।
5. गायत्री पुत्री जगदीश जाति ब्राहम्ण निवासी फेफाना तहसील नोहर।
6. इन्द्रा पुत्री जगदीश जाति ब्राहम्ण निवासी फेफाना तहसील नोहर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 13/06/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 3 केएनएन के खाता संख्या 35/33 की कुल 4.8070हैक व खाता संख्या 34/36 की कुल 0.5060हैक व रोही मौजा चक 8 जेएसएन के खाता संख्या 34/30 की कुल 7.8030हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मृतक जगदीश प्रसाद उर्फ जगदीश पुत्र मोहनलाल उर्फ मनीराम के नाम सें दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में जगदीश प्रसाद उर्फ जगदीश पुत्र मोहनलाल उर्फ मनीराम के नाम दर्ज है जो वादी का पिता है मृतक जगदीश प्रसाद उर्फ जगदीश पुत्र मोहनलाल उर्फ मनीराम को देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 है जो मृतक जगदीश प्रसाद उर्फ जगदीश पुत्र मोहनलाल उर्फ मनीराम के नाम दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है।

रोही मौजा चक 3 केएनएन के खाता संख्या 34/30 की 7.8030हैक भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 वादी की बहने/माता है एवं मृतक जगदीश प्रसाद उर्फ जगदीश पुत्र मोहनलाल उर्फ मनीराम की पुत्री/पत्नी है प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादीगण के बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की मृतक जगदीश प्रसाद उर्फ जगदीश पुत्र मोहनलाल उर्फ मनीराम जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके मृतक जगदीश प्रसाद उर्फ जगदीश पुत्र मोहनलाल उर्फ मनीराम के नाम से दर्ज है जिनका देहान्त हो चुका है मृतक जगदीश प्रसाद उर्फ जगदीश पुत्र मोहनलाल उर्फ मनीराम के जायज वारिसान वादीगण एव प्रतिवादी

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

संख्या 1 ता 6 है जो मृतक जगदीश प्रसाद उर्फ जगदीश पुत्र मोहनलाल उर्फ मनीराम के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने निवेदन किया की खाता संख्या 34/30 की भूमि में उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पुत्र वादीगण के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 एव वादगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 7 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 3 केएनएन के खाता संख्या 35/33 की कुल 4.8070हैक व खाता संख्या 34/36 की कुल 0.5060हैक व रोही मौजा चक 8 जेएसएन के खाता संख्या 34/30 की कुल 7.8030हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मृतक जगदीश प्रसाद उर्फ जगदीश पुत्र मोहनलाल उर्फ मनीराम के नाम सें दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में जगदीश प्रसाद उर्फ जगदीश पुत्र मोहनलाल उर्फ मनीराम के नाम दर्ज है जो वादी का पिता है मृतक जगदीश प्रसाद उर्फ जगदीश पुत्र मोहनलाल उर्फ मनीराम को देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 है जो मृतक जगदीश प्रसाद उर्फ जगदीश पुत्र मोहनलाल उर्फ मनीराम के नाम दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है।

रोही मौजा चक 3 केएनएन के खाता संख्या 34/30 की 7.8030हैक भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 वादी की बहने/माता है एवं मृतक जगदीश प्रसाद उर्फ जगदीश पुत्र मोहनलाल उर्फ मनीराम की पुत्री/पत्नी है प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादीगण के बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 3 केएनएन के खाता संख्या 35/33 की कुल 4.8070हैक व खाता संख्या 34/36 की कुल 0.5060हैक व रोही मौजा चक 8 जेएसएन के खाता संख्या 34/30 की कुल 7.8030हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मृतक जगदीश प्रसाद उर्फ जगदीश पुत्र मोहनलाल उर्फ मनीराम के नाम सें दर्ज है।

वादीगण का कथन है कि वाद भूमि जगदीश प्रसाद उर्फ जगदीश पुत्र मोहनलाल उर्फ मनीराम के नाम से दर्ज है जिनका देहान्त हो चुका है जिनके जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार उनके पुत्र/पुत्रीया/पत्नी वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 है जो

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

जगदीश प्रसाद उर्फ जगदीश पुत्र मोहनलाल उर्फ मनीराम के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादीगण का कथन है कि खाता संख्या 34/30 की भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादीगण के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 3 केएनएन के खाता संख्या 35/33 की कुल 4.8070हैक भूमि व खाता संख्या 34/36 की कुल 0.5060हैक भूमि मृतक जगदीश प्रसाद उर्फ जगदीश पुत्र मोहनलाल उर्फ मनीराम के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 को बहिब का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा रोही मौजा चक 8 जेएसएन के खाता संख्या 34/30 की कुल 7.8030हैक भूमि जगदीश प्रसाद उर्फ जगदीश पुत्र मोहनलाल उर्फ मनीराम के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को बहिब का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 13/06/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. सत्यप्रकाश पुत्र जगदीश जाति ब्राहम्ण निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. रविप्रकाश पुत्र जगदीश जाति ब्राहम्ण निवासी फेफाना तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1. सन्तोष पुत्री जगदीश जाति ब्राहम्ण निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. कैलाश पुत्री जगदीश जाति ब्राहम्ण निवासी फेफाना तहसील नोहर।
3. सुदेश पुत्री जगदीश जाति ब्राहम्ण निवासी फेफाना तहसील नोहर।
4. कौशल्या पुत्री जगदीश जाति ब्राहम्ण निवासी फेफाना तहसील नोहर।
5. गायत्री पुत्री जगदीश जाति ब्राहम्ण निवासी फेफाना तहसील नोहर।
6. इन्द्रा पुत्री जगदीश जाति ब्राहम्ण निवासी फेफाना तहसील नोहर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 378 सन 2022 निर्णय दिनांक– 13/06/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 3 केएनएन के खाता संख्या 35/33 की कुल 4.8070हैक भूमि व खाता संख्या 34/36 की कुल 0.5060हैक भूमि मृतक जगदीश प्रसाद उर्फ जगदीश पुत्र मोहनलाल उर्फ मनीराम के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 को बहिब का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा रोही मौजा चक 8 जेएसएन के खाता संख्या 34/30 की कुल 7.8030हैक भूमि जगदीश प्रसाद उर्फ जगदीश पुत्र मोहनलाल उर्फ मनीराम के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को बहिब का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 13/06/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर